कार्यालय – राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश

सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (निकट शहीद पथ), गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक: 1046 /एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2016 दिनॉक: 09 जून, 2016

आदेश

आयोग में विचाराधीन मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु पीठों के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी पूर्व कार्यालय आदेश सं. 4502/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2014 दि. 29.12.2014 का अधिक्रमण करके पीठों का नवीन क्षेत्राधिकार निम्नवत नियत किया जाता है –

पीठ सं. 1 (न्याय कक्ष सं.- 1)	मूल वाद - वर्ष 2014 व उसके उपरांत योजित अपील व पुनरीक्षण याचिका - आरंभ से वर्ष 1996 तक योजित तथा वर्ष 2015 व उसके उपरांत योजित
पीठ सं. 2 (न्याय कक्ष सं.- 2)	मूल वाद - आरंभ से वर्ष 2013 तक योजित अपील व पुनरीक्षण याचिका - वर्ष 1997 से वर्ष 2003 तक योजित
पीठ सं. 3 (न्याय कक्ष सं.- 3)	अपील व पुनरीक्षण याचिका - वर्ष 2004 से वर्ष 2008 तक योजित
पीठ सं. 4 (न्याय कक्ष सं.- 4)	अपील व पुनरीक्षण याचिका - वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक योजित
पीठ सं. 5 (न्याय कक्ष सं.- 5)	**रिक्त** (Vacant) (सदस्यों की नियुक्ति तक) अपील व पुनरीक्षण याचिका - वर्ष 2012 से वर्ष 2014 तक योजित

त्रुटिपूर्ण मामलों, 'स्टेप्स' दाखिल किये जाने संबंधी मामलों, आपत्ति/जवाबदावा, पक्षकारों के लिखित तर्क दाखिल किये जाने संबंधी मामलों एवं तामीलों की उपधारणा (presumption of service) संबंधी मामलों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु न्याय कक्ष सं. 6 में एक 'एकल सदस्यीय पीठ' बनाई जाती है।

यह आदेश लागू हो जाने के उपरान्त से कोई मामला 'निबंधक के समक्ष' (Before Registrar) के रूप में सूचीबद्ध नहीं होगा अपितु नियत तिथि पर वह मामला मा. पीठ के क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित न्याय कक्ष के समक्ष सूचीबद्ध होगा।

राज्य आयोग के आदेश से सम्बन्धित निष्पादन आवेदन-पत्र (Execution Application) व प्रकीर्ण आवेदन-पत्र (Miscellaneous Applications) सम्बन्धित पीठ के क्षेत्राधिकार के अनुसार सूचीबद्ध होंगे। तिथि नियत किये जाने से संबंधित पक्षकारों के सामान्य आवेदन-पत्र Listing Applications शीर्षक के अधीन एवं अन्य प्रकार के विविध/प्रकीर्ण आवेदन-पत्र Miscellaneous Applications शीर्षक के अधीन न्याय कक्ष सं. 1 के समक्ष सूचीबद्ध होंगे।

मा. उच्चतम न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय एवं मा. राष्ट्रीय आयोग के समयबद्ध निस्तारण संबंधी अपीलों अथवा सामान्य 'रिमांड' की गई अपीलों को संबंधित न्याय कक्षों में उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार सूचीबद्ध किया जायेगा।

पूर्व में लागू व्यवस्थानुसार जो मामले 'सूचीबद्ध किये जाने हेतु तैयार' (Ready to List) श्रेणी में आ चुके हैं उन सभी को संबंधित न्याय कक्ष के समक्ष सूचीबद्ध किये जाने हेतु निबंधक द्वारा तिथियॉ नियत की जायेंगीं और निबंधक द्वारा नियत तिथियों की सूचना कार्यालय द्वारा पक्षकारों को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करते हुए उसकी प्रविष्टि विभागीय साफ्टवेयर में की जायेगी।

'सूचीबद्ध किये जाने हेतु तैयार' (Ready to List) श्रेणी की अपीलों में निबंधक द्वारा नियत तिथि की सूचना, यदि कोई पक्षकार अथवा उनका प्राधिकृत अभिकर्ता संबंधित पत्रावली पर 'नोट' (Note) कर लेता है, तो उसे पंजीकृत डाक के माध्यम से तिथि की सूचना के प्रेषण की आवश्यकता नहीं होगी।

चूँकि वर्तमान में मा. सदस्य के दो पद रिक्त हैं। अत: उक्त पदों पर तैनाती अथवा अगला आदेश, जो भी पहले हो, तक वर्ष 2012 के मामले न्याय कक्ष सं. 2 के समक्ष, वर्ष 2013 के मामले न्याय कक्ष सं. 3 के समक्ष एवं वर्ष 2014 के मामले न्याय कक्ष सं. 4 के समक्ष सूचीबद्ध होंगे।

यह आदेश दि. 04.07.2016 से सूचीबद्ध होने वाले मामलों में लागू होगा।

A.H.Khan

(न्यायमूर्ति अख़्तर हुसैन खान)

अध्यक्ष

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त मा. सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., लखनऊ।
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, निबन्धन/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, राज्य आयोग, उ.प्र.।
3. वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष, रा.उ.वि.प्र.आ., उ.प्र., लखनऊ।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार)/ प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान), रा.उ.वि.प्र.आ., उ.प्र., लखनऊ।
5. 'फाइलिंग' अनुभाग, रा.उ.वि.प्र.आ., उ.प्र., लखनऊ।
6. वरिष्ठ सहायक, समस्त न्याय कक्ष, रा.उ.वि.प्र.आ., उ.प्र., लखनऊ।
7. अध्यक्ष, ऑल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन।
8. अध्यक्ष, प्रोग्रेसिव कन्ज्यूमर बार एसोसिएशन।
9. अध्यक्ष, स्टेट कन्ज्यूमर कमीशन बार एसोसिएशन, लखनऊ।
10. नोटिस बोर्ड।

M. R. Siddiqui

(मो. रईस सिद्दीकी)

निबन्धक